## प्रश्न - मृत्युकालिक घोषणा क्या हैं ? किन आधारों पर यह साक्ष्य में सुसंगत तथा ग्राहन हैं ?

**उत्तरः- मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration)** - जब किसी मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो जाता है तो मृत व्यक्ति का 'कथन' जिसे उसने अपनी 'मृत्यु के कारण के विषय में' या 'जिन परिस्थितियों के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। उसके विषय में, किया गया है, । इस धारा के अनुसार सुसंगत एवं ग्राह्य है

उक्त कथन सुसंगत होगा चाहे कथन के समय, कथन करने वाले को अपनी 'मृत्यु की प्रत्याशंका' (expectation) भी न रही हो और चाहे उस 'कार्यवाही की प्रकृति कैसी भी रही हो ।'

धारा 32 (1) के अनुसार, मृत्यु के समय कहे गये कथन तभी सुसंगत होते हैं जबकि मृतक ने अपनी ने कथन-

(1) अपने मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में किया हो; या

(2) उन परिस्थितियों के विषय में किया हो जिनमें उसकी मृत्यु हुई हो, और

(3) उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो ।

"**मृत्युकालिक कथन" की परिभाषा** साक्ष्य अधिनियम में नहीं दी गई है। धारा 32 के मुख्य भाग तथा इसकी उपधारा (1) को साथ पढ़ने से मृत्यु कालिक कथन की निम्न परिभाषा बनती है—

मृत्युकालिक कथन किसी ऐसे व्यक्ति का लिखित या मौखिक कथन है, जो मर गया है तथा जिसने अपने कथन में अपनी मृत्यु के कारणों को बताया है या उन परिस्थितियों को बताया है जिनमें उसकी मृत्यु हुई है। कथन करते समय उसे मृत्यु की आशंका रही हो या नहीं। मृतक पत्नी द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व लिखे गये पत्र को, साक्ष्य में ग्राह्य माना गया क्योंकि वह उसकी मृत्यु के कारण को या उन परिस्थितियों को प्रकट करता था जिनके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई

**संत गोपाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** के वाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि "मृत्युकालीन कथन" से तात्पर्य उस व्यक्ति के लिखित या मौखिक सुसंगत कथनों से है जो मर चुका है।

**धारा 32. वे दशायें जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि-** सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये थे, जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त (procure) नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त (unreasonable) प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत हैं

( 1 ) **जबकि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है** (When it relates to cause of death) - जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो ।

ऐसे कथन सुसंगत हैं, चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है उस समय जबकि वे किये गये थे मृत्यु की प्रत्याशंका (expectation) थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

**(2) अथवा कारबार के अनुक्रम में किया गया है** (Or is made in course of business) जब कि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारबार के मामूली अनुक्रम (in the ordinary course of business) में किया गया था तथा विशेषतः जबकि वह उसके द्वारा कारबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक किये गये ज्ञापन ( memorandum) के रूप में है अथवा उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों (securities) या (professional) कर्त्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किसी भी किस्म की सम्पत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है अथवा वाणिज्य में उपयोग में आने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है, जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी।

**( 3 ) अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध है (**Or against the interest of the maker)—जब कि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धनसम्बन्धी या साम्पत्तिक हित के विरुद्ध है या जब कि यदि वह सत्य हो तो उसके कारण उस पर दाण्डिक अभियोजन (prosecution) या नुकसानी (damages) का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था।

**(4) अथवा लोक-अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है** (Or opinion as to public right, custom or matters of general interest)– जबकि उस - कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक-अधिकार (public right) या रूढ़ि अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में है, जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना सम्भाव्य होता और जब कि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार, रूढ़ि या बात के बारे में किसी संविवाद (controversy) के उत्पन्न होने से पहले किया गया था।

**( 5 ) अथवा नातेदारी के अस्तित्व से सम्बन्धित है (Or relates to existence of relationship)** — जबकि वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण (adoption) पर आधारित नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है, जिन व्यक्तियों की रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास, जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे और जब कि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाये जाने से पूर्व किया गया था।

**( 6 ) अथवा कौटुम्बिक बातों से सम्बन्धित बिल या विलेख में किया गया है** (Or is made in will or deed relating to family affairs) – जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है और उस कुटुम्ब की बातों से, जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था, सम्बन्धी किसी विल (will) या विलेख (deed) में या किसी कुटुम्ब - वंशावली में या किसी समाधि प्रस्तर, कुटुम्ब चित्र या अन्य चीज पर जिस पर, ऐसे कथन प्रायः किये जाते हैं, किया गया - है, और जबकि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाये जाने से पूर्व किया गया था।

**( 7 ) अथवा धारा 13 खण्ड (क) में वर्णित संव्यवहार से सम्बन्धित दस्तावेज में किया गया है** (Or in document relating to transaction mentioned in Section 13, clasue (A) — जबकि वह कथन किसी ऐसे विलेख, विल या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है, जो किसी ऐसे संव्यवहार (transaction) से सम्बन्धित है जैसे कि धारा 13, खण्ड (क) में वर्णित है।

**(8) अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनायें अभिव्यक्त करता है** (Or is made by several persons and expressess feelings relevant to matter in question ) – जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उसकी भावनाओं (feelings) या धारणाओं (impressions) को अभिव्यक्त करता है

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

## प्रश्न - सर्वसंबन्धी निर्णय एवं व्यक्ति सम्बन्धी निर्णय से आप क्या समझते हैं ! भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सर्व - संबधी निर्णय की सुसंगतता के सम्बंधित नियम की विवेचना कीजिए !

**उत्तर:**- निर्णय के प्रकार (Kinds of judgment) - निर्णय दो प्रकार के होते हैं

(1) सर्वबन्धी निर्णय (Judgment in rem), और

(2) पक्षकारबन्धी निर्णय (Judgment in personam)

**'लोकलक्षी निर्णय का तात्पर्य** (Meaning of Judgment in rem ) – साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी सर्वबन्धी निर्णय की परिभाषा नहीं दी गई है। धारा 41 कुछ ऐसे निर्णयों का वर्णन करती है जो पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं लागू होते हैं। यह धारा कुछ विषयों में ऐसे निर्णयों को निश्चायक (Conclusive) भी बनाती है। यद्यपि धारा 41 'सर्वबन्धी निर्णय' शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है फिर भी इस विषय पर यह धारा विधि का इस रूप में नियमन करती है जिस रूप में सर बारनेस पीकॉक ने **कन्हैयालाल** बनाम **राधाचरण**, में 'लोकलक्षी निर्णय' की व्याख्या की है।

सर्वबन्धी निर्णय की परिभाषा टेलर (Taylor) ने इस प्रकार की है-"जैसा इसके नाम से स्पष्ट है ने सर्वबन्धी निर्णय न्याय-निर्णयन की एक ऐसी घोषणा है जो किसी खास विषय पर सक्षम अधिकारी द्वारा सार्वभौमिक नियम की स्थापना करती है।" अर्थात् सर्वबन्धी निर्णयों का तात्पर्य ऐसे निर्णयों से है जो न केवल पक्षकारों के विरुद्ध अपितु समस्त जगत के विरुद्ध प्रभावी होते हैं।

फील्ड (Field) का कहना है कि "सर्वबन्धी निर्णय की उचित परिभाषा केवल इस प्रकार की जाती है कि यह एक ऐसा निर्णय है जो न केवल उस वाद के पक्षकारों पर ही जिसमें कि वह दिया गया था वरन् सभी व्यक्तियों पर बन्धनकारी होता है। ऐसे निर्णय निश्चायक विधि (positive law) के अंग हैं, चाहे वे अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य के कारण हों या चाहे घरेलू औचित्य के कारण हों।"

इस प्रकार सर्वबन्धी निर्णय वह निर्णय है जो न केवल प्रतिपक्षी पर ही बन्धनकारी होता है अपितु पूरे संसार पर बन्धनकारी होता है।

**पक्षकारबन्धी निर्णय** - पक्षकारबन्धी निर्णय वे सभी सामान्य निर्णय हैं जो किसी विषय वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की विधिक स्थिति को प्रभावित नहीं करते, इस प्रकार के निर्णय से वाद या कार्यवाही के पक्षकारों के अधिकारों पर विनिश्चय या निर्णय (decision) होता है। वे निर्णय सिर्फ वाद या कार्यवाही के पक्षकार तथा उनके सन्निकट लोगों पर था जो इनके माध्यम से दावा करते हैं, बाध्यकारी होते हैं सम्बन्धियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है

**1.सम्पत्ति (Estate)** — सम्बन्धी सन्निकटता जैसे दाता, दानग्रहीता, पट्टाधारी तथा पट्टाकर्ता, वारिस या सहदायिकी ।

2.**रक्त की सन्निकटता** (Privies in blood) — जैसे पूर्वज, वारिस या सहदायिकी ।

3. **विधि के अन्तर्गत सन्निकटता** (Privies in law) — जैसे वयीयतकर्ता या निष्पादक । वही नियम जो पक्षकारों से सम्बन्धित इन सन्निकटों पर लागू होगा अर्थात् एक व्यक्ति जो दूसरे के माध्यम मूल से दावा करता है, मूल पक्षकार की भांति इस विषय वस्तु में निर्णय से बाध्य होते हैं।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW